

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 64/2020

बउनवान

मुकेश पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी अल्लापुरा तहसील छबडा जिला बारों

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 02.03.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 774/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम अल्लापुरा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक (बंजड) सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 90 व 124 की रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 398/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि तहसीलदार छबडा द्वारा दिनांक 14.11.2019 को धारा 91 ले0रे0 एक्ट की कार्यवाही में अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विधि विरुद्ध रूप से अमल में लाते हुए अपीलांट को 90 दिवस का कारावास एवं भूमि के लगान का 50 गुना अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को जिस भूमि पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 ले0रे0 एक्ट की कार्यवाही में दण्डित किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट का गत 50 वर्षों से अधिक समय से अपने पूर्वजों के समय से पीढी दर पीढी काश्त करता आ रहा है। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। अपीलांट के उक्त विवादित भूमि पर कब्जा हेतु दस्तावेजात लिखित बहस के साथ संलग्न है।

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के नियमन हेतु लगातार प्रयत्न एवं आवेदन किया जाता रहा है, स्वयं तहसीलदार साहब छबडा द्वारा नियमन कार्यवाही में उच्चाधिकारियों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पर अपीलांट के पक्ष में पत्र क्रमांक/राजस्व/2014/570 दिनांक 20.10.14 के द्वारा नियमन की अनुशंसा की गई है इस प्रकार एक बार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजी के संबंध में नियमन की अनुशंसा कर दी गई तब उक्त नियमन की कार्यवाही जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार अपीलांट को विधि विरुद्ध रूप से उक्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर अपीलीय आदेश से दण्डित किया गया है, इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पूर्व में अपीलांट के संबंध में की गई नियमन की अनुशंसा से विबंधित है एवं अपने पूर्व अनुशंसा के विरुद्ध अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने में पूर्ण रूप से बाध्य है। अपीलांट के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र गोपाल द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92(ए), 188 राज0टी0 एक्ट के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी व राज0 राज्य के विरुद्ध भी दर्ज कराया था। जिसका प्रकरण संख्या 36/2013 है, जिसके निर्णय दिनांक 10.2.14 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट के पूर्वज गोपाल जी एवं रामचन्द्र जी को सम्वत् 2022 से उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करना माना है। उक्त आदेश दिनांक 10.2.14 में न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा द्वारा विवादित आराजी को वन विभाग के खाते गलत रूप से दर्ज होना माना जाकर पुनः सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जिसकी नकल इन्तकाल दस्तावेज संलग्न है।

अपीलांट के नियमन की कार्यवाही निर्णय दिनांक 10.2.2014 न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा की अपील वन विभाग द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहाँ अवधि बाहर पेश की गई, जिसके जैरकार रहते स्थगित कर दी गई थी। इस प्रकार अपीलांट विगत 50 वर्ष से अधिक वर्षों से उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने से नियमन का पात्र है। अपीलांट अपीलीय आदेश पारित होने के दिन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था और अपनी जवाबदेही पेश करने हेतु निवेदन किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे गैर हाजिर बताकर अपीलांट के पक्ष को सुने बिना नियमन की कार्यवाही जैरकार होने के बावजूद उक्त आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अपीलीय आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। विवादित आराजी राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 से बाधित नहीं है तथा नियमन योग्य भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में अपील भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहाँ जैरकार है तथा टी.आर.ए. छबडा द्वारा नियमन की अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

इसके विपरीत पेशकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक (बंजड) पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 554/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 से तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा अधिक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा अधिक है और अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 774/2019 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर,
बारां

